

आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड
(वाणिज्य कर विभाग)
संख्या : 2321/आ0रा0क0उ0/जी0एस0टी0-विधि अनुभाग/2017-18
देहरादून :: दिनांक :: 08 अगस्त, 2017


अधिसूचना

उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक के साथ पठित धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे देने की समय सीमा को, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने के लिए, एतदद्वारा, बढ़ाता हूँ, अर्थात्:--

सारणी

क्रम सं०	मास	प्ररूप जीएसटीआर-2 में आवक प्रदायों के ब्यौरे फाइल करने की समय अवधि
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई, 2017	6 से 10 सितंबर, 2017
2	अगस्त, 2017	21 से 25 सितंबर, 2017

2. यह अधिसूचना दिनांक 08 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी ।


(श्रीधरबाबू अददांकी)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

Commissioner State Tax Uttarakhand
(Commercial Tax Department)

No : 2321 /CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18

Dehradun :: Dated :: 08 August, 2017


Notification

In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (2) of section 38 read with section 168 of the Uttarakhan Goods and Services Act, 2017 (06 of 2017), I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details specified in sub-section (2) of section 38 of the said Act for the month as specified in column (2) of the Table below, within the period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Month	Time period for filing of details of inward supplies in FORM GSTR-2
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	6 th to 10 th September, 2017
2.	August, 2017	21 st to 25 th September, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 8th day of August, 2017.


(Sridharbabu Addanki)
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.